

किन्तु इनके उपस्थित नहीं होने से इनके  
विरुद्ध छपट्टीय कार्यवाही का आदेश  
दिया जाता है। डिप्टी से. 1, पसे न, 9 से  
13 की धर्म में सम्यक तामील डोकू शाब्दात्  
है। डिप्टी से. 1, पसे न, 9 से 13 अनुपस्थित  
जिनके प्रकडण से कइ बाड विधिपरकक  
कक का - चापले बगार्थ गइर किन्तु इनके  
उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक  
तस्मा कार्यवाही के आदेश जारी किया  
जाता है। डिप्टी से 8 के कार्यवाही  
ने जवाब जेस किया जो शाब्दात्  
किनागदा जितनी परि कमीसपल्ली के  
डिवाइगरी प्रकडण से कइप उकपफा  
आवेपन्ना की सुनीगरी पत्रावली वादे  
निर्णय दिनांक 9/3/2021 को पेश हो।

dh

उपखंड अधिवक्त्री पदेन

सहायक फलकटर करेडा

34

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष का विवरण  
उपस्थित। प्रकडण में प्रयोग का प्रकडण  
आस्थीकार किया जाता है। विरुद्ध निर्णय  
पृथक से लिखा जाकर शाब्दात् किया  
गया। पत्रावली फेसल सुगर होना दर्ज  
नाम्बर से कम है।

dh

उपखंड अधिवक्त्री पदेन

सहायक फलकटर करेडा

